कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रार. / आर.टी.ई. / एस.एम.सी. / 18875 / 11–12 / 890 दिनांकः– 23/10/12

प्रेषकः
डां रविकुमार सुरपुर
IAS
निदेशक

प्रेषितीः
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः–विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुर्नगठन के क्रम में।
प्रसंगः–आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्रांक प.15(28) राप्राशिप / जय / समिति / एस.एम.सी / 2012 / 9022दिनांक 1.10.12 के कम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके जिले के समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2012 तक विद्यालय प्रबन्ध समिति की साधारण सभा की बैठक आमंत्रित कर कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर के उक्त पत्र में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं जिले की समस्त विद्यालय प्रबन्ध समितियों की कार्यकारिणी का पुनर्गठन होने के उपरान्त संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 2"द" के बिन्दु संख्या 1 से 8 की सूचना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक

C:\Users\hcl\Desktop\RTE\New Rte.docx

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई / एस.एम.सी / 18875 / 11–12 / 325 दिनांकः– 22-11-12

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः– विद्यालय प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन के कम में।
प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.10.12 एवं आयुक्त रा.प्रा.शि परिषद् जयपुर का पत्र दिनांक 1.10.12

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति का कार्यकाल पूर्ण हाने के कारण दिनांक26.11.12 से दिनांक 3.12.12 तक विद्यालय प्रबन्धन समिति की साधारण सभा की बैठक आमंत्रित कर कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्यों के उदयपुर विजिट के दौरान पाया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा एस.एम.सी के पुनर्गठन के बारें में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया तथा कार्यकारिणी के गठन में अभिभावकों एन.जी.ओ. के सदस्यों को भी सूचित नहीं किया गया ऐसे में समिति का गठन शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं हो पायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विद्यालय प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि एस.एम.सी का गठन लोकतांत्रिक तरीके से हो सके व विद्यालय के विकास में उनकी बेहतर भागीदारी हो सकें।

ह0–
उप निदेशक(आर.टी.ई)

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ... ।
3. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

उप निदेशक(आर.टी.ई)